राजस्थान सरकार
सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

क्रमांक:–प.2(7764)डीओआईटी/संस्था/19/03463/2022 जयपुर, दिनांक 25/05/2022

## कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में विभिन्न विभागों/कार्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित सूचना सहायक जिन्होंने दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है, को वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेविल पर वेतन एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

| क्रम सं | रोल नं | सूचना सहायक का नाम (श्री/सुश्री/ श्रीमती) | विभाग/कार्यालय का नाम | प्रथम कार्यग्रहण दिनांक | परीवीक्षाधीन अवधी (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक | निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण एवं स्थाईकरण किये जाने की दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 298788 | अजय कुमार मीणा | सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा | 06.09.2019 (मध्यान्ह पश्चात) | 06.09.2021 | 07.09.2021 |

उक्त सूचना सहायक का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के तहत किया जावेगा एवं नियमितिकरण/स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका मे किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

वे सूचना सहायक जो सूचना सहायक पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिको को (जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा था) परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार सेवा नियम के नियम 26 के अंतर्गत किया जायेगा।

(सुनील छाबडा)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
3. सबंधित सूचना सहायक।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

विजय
सहायक प्रशासनिक अधिकारी